

फैक्ट सीट

- 1-परियोजना का नाम - मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा संख्या-309/2020 “शहीद स्मारक जड़ सैक्टर बिन्दुखत्ता में पूर्व सैनिकों /शहीदों के आश्रितों के प्रशिक्षण एवं आजीविका संवर्धन हेतु विकास केन्द्र का निर्माण।
- 2-प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल(है0 में)-
- | | | |
|------------------------|---|-----------|
| आरक्षित वन भूमि | - | 0.063 है0 |
| सिविल एवं सोयम वन भूमि | - | - |
| वन पचायंत भूमि | - | - |
| निजी भूमि | - | - |
| योग | - | 0.063 है0 |
- 3- प्रस्तावक विभाग का नाम- जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास हल्द्वानी, जिला- नैनीताल।
- 4- वन प्रभाग का नाम- तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
- 5- प्रस्ताव बाइडिंग किया गया है- ✓ हॉ/ नहीं
- 6- प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है- ✓ हॉ/ नहीं
- 7- क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1, 2, व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है- ✓ हॉ/ नहीं
- 8- क्या प्रारूप में वाछित स्थानों पर दिनेंक व स्थान भरा गया है- ✓ हॉ/ नहीं
- 9- प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है- ✓ हॉ/ नहीं
- 10-प्रभावित होने वाले वृक्षों के सख्यां की सूची/प्रमाण पत्र सलग्न है- ✓ हॉ/ नहीं
- 11-बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन सरंक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र सलग्न है- (उक्त निर्माण में कोई भी बांज प्रजाति का वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है)
- 12-प्रभावित होने वाले वृक्षों की सख्यां यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है- हॉ/ नहीं
(वृक्षों की संख्या न्यूनतम है)
- 13-समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की सख्यां व वास्तविक रुप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची सलग्न है- ✓ हॉ/ नहीं
- 14-क्या वृक्षों की सख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है- ✓ हॉ/ नहीं
- 15-क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में सलग्न है- लागू नहीं
- 16-क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है- लागू नहीं
- 17-प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना सलग्न है- लागू नहीं
- 18-क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टी से महत्वपूर्ण है- हॉ/ नहीं
- 19-प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है- हॉ/ नहीं
- 20-क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है- ✓ हॉ/ नहीं

- 21-प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है- लागू नहीं
- 22-क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है- ☒ हाँ/ ☐ नहीं
- 23-यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है। लागू नहीं
- 24-क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघन हुआ है- ☐ हाँ/ ☒ नहीं
- 25-यदि उल्लघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण सलग्न किया जाय। लागू नहीं।
- 26-सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखणं मानचित्र पर दर्शाये गये हैं- लागू नहीं
- 27-वैकल्पिक समरेखण को निरस्त करने का कारण- संलग्न है।
- 28-लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है- (5 है० से अधिक के प्रकरण में लागू होगा) लागू नहीं।
- 29-मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है- ☒ हाँ/ ☐ नहीं
- 30-मलवे की योजना मय मानचित्र के सलग्न है-
अथवा
मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र सलग्न है- संलग्न है।
- 31-राज्य सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में सलग्न है- ☒ हाँ/ ☐ नहीं
- 32-क्या प्रस्ताव में सलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में सलग्न हैं-
(यदि छायाप्रतियाँ सलग्न की गयी हैं तो क्या वे सत्यापित हैं) ☒ हाँ/ ☐ नहीं
- 33-यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र सलग्न है- लागू नहीं।
- 34-वित्तिय प्रशासनिक / स्वीकृति सलग्न है- ☒ हाँ/ ☐ नहीं
- 35-क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है- ☒ हाँ/ ☐ नहीं
- 36-क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र सलग्न है- ☒ हाँ/ ☐ नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फ़ैक्ट सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनायें सलग्न कर दी गयी हैं।


Zila Sainik Kalyan Evam Punarvas
Adhikari, Haldwani (Nainital)
(प्रमुख सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी)